O/C

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

PWD UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

पत्रांक 912 /2भू0आ0

दिनांक 20/06 /2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल सोयम पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।

विषयः– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली–कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड़ देहरादून के पत्र संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/8/2016/एफ0सी0/97 दिनांक 16.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली–कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग पौड़ी को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में चिन्हित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है–

क्र0 सं0	शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.870 हे0 भूमि ग्राम मरगुण सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त नं0 01– के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित भूमि 8.870 हे0 ग्राम मरगुण सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख रखाव हेतु ₹ 2471759.00 (चौबीस लाख इक्कतर हजार सात सौ उनसठ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम मरगुण जिला पौड़ी गढ़वाल के सिविल एवं सोयम भूमि का क्षेत्रफल 8.870 हे0 को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आपके स्तर से निर्गत किया जाना है। (नामान्तरण/हस्तान्तरण की खाता खतौनी की नकल एवं आदेश की प्रति संलग्न है)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त नं0 02– के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ₹ 2913795.00 (उन्तीस लाख तेरह हजार सात सौ पिच्चानब्बे) मात्र एन0पी0वी0 की देय धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है, एन0पी0वी0 की धनराशि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि का संयुक्त चालान ₹ 5385554.00 की प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त नं0 03– के अनुपालन में यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न है)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

21/06/2022

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किया जायेगा, अन्य मदों में से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नही होगा।	शर्त नं0 04– के अनुपालन में सी0ए0 एन0पी0वी0 की धनराशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर कैम्पा कोष देहरादून में जमा कर दिया गया है जिसका चालान संख्या 6111811253 के माध्यम से जमा कर दी गई है (चालान की प्रति संलग्न है)।
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त नं0 05– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सके दोनो किनारों पर सैन्ट्रल ब्रिज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का बचनबद्धता प्रेषित की जा रही है तथा उपरोक्त मोटर मार्ग में साईड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु ₹ 2471759.00 (चौबीस लाख इक्कतर हजार सात सौ उनसठ) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है, में वांछित वृक्षारोपण स्कीम वन विभाग द्वारा प्रेषित की जानी है।
6	State Govt. will provide scheme for planting 2000 trees in lieu of 2.00 ha CA area falling in MDF as per Ministry guidelines dated 08-11-2017	शर्त नं0 06– के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया जाना है।
	सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित अन्य आवश्यक शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जायेगा।	
1	वन भूमि की विधित परिस्थिति नही बदली जायेगी।	शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदले जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है (प्रमाण पत्र संलग्न)।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.870 है0 ग्राम मरगुण सिविल एवं सोयम भूमि को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सं0 3 के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि जो राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/रोपान्तरित किया जायेगा, भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं हस्तान्तरण/नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	शर्त सं0 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूर/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन भूमि का 4 फिट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा, जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आर0सी0सी0 पिलर मापदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाये जायेगें, जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस एवं कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकट वर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतो से प्राप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईंधन दिये जाने पर प्रयोक्ता अभिकरण सहमत एवं बचनबद्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0

7	परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियां एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जायेगी।	शर्त सं0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास की वनस्पति एवं वन जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई जायेगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उद्देश्यों के अलावा अन्य के किसी उद्देश्य के लिये नही किया जायेगा, तथा किसी भी परिस्थितियों में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था विभाग व व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	शर्त सं0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण कटिबद्ध है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये प्रयोग एवं किसी अन्य संस्था विभाग व व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 18 से अधिक न हो।	शर्त सं0 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
10	सड़क के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्ट्रल ब्रिज पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रीप प्लान्टेशन किया जायेगा।	शर्त सं0 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त स्ट्रीप प्लान्टेशन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
11	परियोजना निर्माण से उपर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण परियोजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा, एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जायेगा।	शर्त सं0 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मलवा निस्तारण सम्बन्धी सभी दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश यदि इस प्रकार प्रस्ताव पर लागू होता है तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण किसी अन्य अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश जो इस प्रस्ताव पर लागू होगा उसकी अनुमति लेने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।
13	ऐसी अन्य कोई कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दिये गये शर्तो का सन्तोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	शर्त सं0 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण इस बात के लिये बचनबद्ध है कि निर्माण कार्य के दौरान वन्य जीवों का पूर्णतः संरक्षण किया जायेगा एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्राप्त समस्त शर्तों का कड़ाई से पालन किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण बचनबद्ध है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

20/06/22

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

O/C

प्रतिलिपिः— मुख्य वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

20/06/22

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

O/C

236 | 1सी0
दिनांक 3-4-19

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ॥

E-Mail ID:dmgarhwal@gmail.com /PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्याः 7325 /26–एल0ए0सी0/2019, दिनांक पौडी मार्च 09-03-,2019

आदेश

उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने अपने पत्र संख्या 311/जे0ए0–2018–19 दिनांक 12.02.2019 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा प्रस्तावित अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली से ग्राम देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0. श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा नं0 171 रकवा 13.647 है0 मध्ये 8.870 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि पर कोई मकान, पनघट, कब्रिस्तान, धर्मशाला आदि नही है। प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही हैं। प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार केसर हिन्द भूमि है। जो कि विवादित नहीं हैं।

2– शासनादेश संख्या–2173/XVII(2)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20.000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया हैं।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा प्रस्तावित अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली से ग्राम देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूँ तहसील श्रीनगर के नॉन जेड0ए0. श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा नं0 171 रकवा 13.647 है0 मध्ये 8.870 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुचिश्चत करें।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर।

No 236/1सी0 दि0 3-4-19
प्रतिलिपि सं० अभि० द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

Photo Copy Attestd
...ngineer

Photo Copy Attestd
20/06/20
Assistant Engineer
N.D. P.W.D Pauri

प्रेषक

तहसीलदार
श्रीनगर

सेवा में,

जिलाधिकारी
गढ़वाल।

संख्या– 89 / र0का0 / 2018–19 / श्रीनगर दिनांक जून 25 ,2018

विषय– जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या:–7325 / 26–एल0ए0सी0 / 2019 दिनांक पौडी मार्च 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्यूं तहसील श्रीनगर के जेड0ए0श्रेणी 9 (3) ख 2 झाडी की भूमि खाता संख्या 3 / 8 के खसरा न0 171 रकबा 13.647 है0 मध्ये 8.870 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरणं एवं नामान्तरणं किये जाने के आदेश दिनाकं 09.03.2 के अनुपालन में आदेश का अकंन भू अभिलेखों मे किया गया है।

अतः अनुपालन आख्या मय नकल खतौनी महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

Photo Copy Attestd
20/06/12
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

तहसीलदार
श्रीनगर

[redacted]

तहसील— ग्राम- मडुला पट्टी [illegible] तहसील—: श्रीनगर

जिला—: पौड़ी (गढ़वाल)

नं०	मुन्तखिब(खतौनी) ख0सं0	खातेदार / काबिज का नाम पितृ नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल ख0नं0	क्षे0 नाली मुठ्ठी / हे0 में	नाम तोक	गैर मजरूवा शामिल जोत	मालगुजारी	क्षेत्र	मालिकाना / शेकदारी	तलाउ	किस्म जमीन: उपराउ: अव्वल	किस्म जमीन: उपराउ: दोयम	किस्म जमीन: इजरान	किस्म जमीन: कंटील	कुल रकबा	विस्तार: कानूनी	विस्तार: गैर कानूनी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11–12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
[illegible]	१(3)	ख अन्य वन																	
	ख	(1) ऐसे वन जिस में इमारती लकड़ी केवल पाये जाते हैं कोई नहीं																	
	(ख)	2 ऐसे वन जिन में वृक्ष या झाड़ी समूह पाये जाते हैं									(1)								
	3/8	झाड़ी		2	0040		[illegible]												
				4	0.098														
				7	0.033														
				33	2.269														
				42	16.262														
				43	0.406														
				59	0.214														
				69	0.140														
				130	0.539														
				165	0.019														
				167	0.199														
				171	13.647														
				232	0.150														
				233	0.326														
				260	0.078														
				265	0.026														
				270	0.020														

(1) मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पौड़ी गढ़वाल पत्रांक संख्या 2279/26-प्रशा0 [illegible] /2018 दिनांक पौड़ी जुलाई 27, 2018 आदेश संख्या [illegible]/26-प्रशा0 [illegible] [illegible]

(2) जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल से [illegible] सं0 1400/26 [illegible] /2018 दिनांक पौड़ी [illegible] 2018 [illegible]

Photo Copy Attestd
[illegible]
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

py Attestd

स्थानीय क्षेत्र – अदूला

[redacted]

तहसील—: श्रीनगर, जिला—: पौड़ी (गढ़वाल)

मुन्तखिब(खतौनी) खा0सं0	खातेदार / काबिज का नाम पितृ नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल ख0नं0	क्षे0 नाली मुठ्ठी / हे0 में	नाम तोक	गैर मजरूवा शामिल जोत	मालगुजारी	क्षेत्र	मालिकाना / थोकदारी	किस्म जमीन: तलाउ	उपराऊ: अव्वल	उपराऊ: दोयम	इजरान	कंटील	कुल रकवा	विस्तार: कानूनी	विस्तार: गैर कानूनी	विवरण
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11–12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	इत्यादि		284	2.558														
			291	0.048														
			317	0.356														
			369	0.028														
	योग	—	21	37.811														

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 7325/26 – एल0ए0सी0/2019 [illegible] 2012-18 (20)/2018 दिनांक 17.12.2012 [illegible] वन विभाग [illegible] वृक्षारोपण हेतु [illegible] संख्या 318 [illegible] 17 [illegible] भूमि [illegible] नाम [illegible] वन विभाग के नाम दर्ज किया [illegible]

महोदय, नकल खतौनी [illegible] के आधार पर की गयी है।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
राजस्व उप निरीक्षक
[illegible] तह0 श्रीनगर
पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

Photo Copy Attestd
20/06/12
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

NEFT RTGS CHALLAN Deposited on 10.12.2018 at Corporation Bank Rajpur Road Dehradun

AGENCY COPY

EFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

19-11-2018

cy Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
cation No.	6111811672
/SG File No.	8B/UCP/06/08/2016/FC
tion.	UTTARANCHAL
ess.	Executive Engineer Construction division P.W.DPauri Garhwal
ount(in Rs)	5385554/-

unt in Words :Fifty-Three Lakh Eighty-Five Thousand Hundred and Fifty-Four Rupees Only

FT/RTGS to be made as per following tails;

neficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
C Code:	CORP0000371
y to Account No.	150896111811672 Valid only for this challan amount.
nk Name & ddress:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 19-11-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111811672
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/08/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.D Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	5385554/-

Amount in Words :Fifty-Three Lakh Eighty-Five Thousand Five Hundred and Fifty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896111811672 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

er making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through ail: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Received

Photo Copy Attestd
20/06/22
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

I/96205/2024

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
(सिविल एवं सोयम)
पौडी गढ़वाल।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम देवलगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.435 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या 2156 / 12–1 पौड़ी दिनांक 21.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु खण्ड को रू0 15,44,311.00 का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया है, जिसके कम में खण्ड द्वारा रू0 15,44,311.00 मात्र का भुगतान खाता संख्या 150897294 कैम्पा उत्तरांचल के नाम कर दिया गया है। भुगतान का UTR No. RBI1872477907052 है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

Signed by Shiva
Date: 12-07-2024 16:18:47

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-08-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111811033
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/08/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer Construction division P.W.D Srinagar GarhwalPauri Garhwal
Amount(in Rs)	1544311/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Forty-Four Thousand Three Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111811033 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-08-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6111811033
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/08/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer Construction division P.W.D Srinagar Garhwal Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	1544311/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Forty-Four Thousand Three Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896111811033 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

UTTARAKHAND
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
उत्तराखण्ड राज्य
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली–कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन हेतु यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।

Kiran
कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख०लो०नि०वि०
पौड़ी

20/06/12
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौडी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी
उत्तराखण्ड राज्य
E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली–कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे0 का नव निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख० लो० नि० वि०
पौड़ी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी ।।

Phone & Fax 01368222303, E-Mail dfosspauri@yahoo.com, dfocsgarh-forest-uk@nic.in

पत्रांक :- 829 /12—1 ,पौड़ी, दिनांक, 24 अगस्त, 2024,

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी—खन्दूखाल—मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली—कोल्टा—मुछियाली होते हुये ग्राम—उतरांसू—देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है0 वन भूमि का का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपकी पत्र संख्या—363/12—1 दिनांक 22 अगस्त 2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत अरकनी—खन्दूखाल—मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटखाली—कोल्टा—मुछियाली होते हुये ग्राम—उतरासू—देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य लो0नि0वि0 पौड़ी को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में चिन्हित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

शर्त	अनुपालन
1— शर्त सं0—1— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.870 है0 भूमि ग्राम मरगुण सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनरााशि वर्तमान दरों को समाहित करते हुऐ यथा संशोधित जमा कि जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तानान्तरण/नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तानान्तरण/नामान्तरण के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी ।	शर्त सं0—1— के अनुपालन में प्रयोगता एजेन्जी द्वारा प्रस्तावित भूमि 8.870 है0 ग्राम मरगुन क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रख रखाव हेतु निर्धारित धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की हैं। चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्तानान्तरण/नामान्तरण, एवं खाता खतौनी संलग्न कर प्रेषित।
2— शर्त सं0—2— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफ सी दिनांक 5.02.2009 के तहत ही दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के निर्धारित धनराशि जमा कि जायेगी।	शर्त सं0—2— के अनुपालन में प्रयोगता एजेन्जी द्वारा एन0पी0वी0 की निर्धारित दिये धनराशि वन विभाग के पक्ष मे जमा की गयी प्रति संलग्न।
3— शर्त सं0—3— शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में अगर बड़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय के प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जायेगी।	शर्त सं0—3— के अनुपालन में प्रयोगता एजेन्जी द्वारा एन0 पी0 वी0 की अतिरिक्त धनराशि रू 1544311.00 (पन्द्रह लाख चवालिस हजार तीन सौ ग्यारह) UTR NO.RBI 1872477907052 दि0 15.07.2024 द्वारा कैम्पा उत्तरांचल में जमा की गयी है। पत्र की कॉपी संलग्न है।

letter land transfer

o/c

4– शर्त सं0–4– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा की गई सभी निधियां (सी0ए0 कॉस्ट, एन0पी0वी0 इत्यादि) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालन के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया जायेगा। अन्य मदों में से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन के रूप में मान्य नहीं होगा।	शर्त सं0–4– के अनुपालन में प्रयोगता एजेन्जी द्वारा सी0ए0, एन0पी0वी0 की धनराशि चालन द्वारा कैम्पा कोष देहरादून मे चालन सं0 6111811253 के माध्यम से जमा की गयी चालन की **प्रति संलग्न**।
5– शर्त सं0–5– सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा सैन्ट्रल ब्रिज पर परयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0–5– के अनुपालन में प्रयोगता एजेन्जी द्वारा सडक क दोनो तरफ जहा जहा सम्भव हो central verge पर स्ट्रिप प्लान्टेशन हेतु धनराशि जमा की गयी है जो कि वन विभाग द्वारा प्लान्टेशन व सड़क के दोनो तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा।
6– शर्त सं0–6–state govt. will provide scame for planting 2000 trees in lieu of 2.haca area falling in mdf us per ministery guidelines dated 8.11.2017	शर्त सं0–6– state govt. will provide scame for planting 2000 trees in lieu of 2.haca area falling in mdf us per ministery guidelines dated 8.11.2017 हेतु भूमि उपयुक्त पायी गयी है। उपयोगिता प्रमाण पत्र **संलग्न है**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शिशुपाल सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौडी।

letter land transfer

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के किमी0 08 से मट्टाखोली से कोल्ठा–मुछियाली होते हुये ग्राम–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–मरगुण, पट्टी–रावतस्यूँ, तहसील–श्रीनगर के नॉन जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख 2 झाड़ी की भूमि खाता संख्या 3/8 के खसरा नं0 171 रकवा 13.647 है0 मध्ये 8.870 है0 की भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं0 869-F/638 दिनॉक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1566/14–2–97–800 (II)/1997 दिनॉक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 362 / 12-1 ,दिनांकित, पौड़ी, ~~जुलाई~~,22/08/2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली–कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे0 का नव निर्माण कार्य में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यालय की संस्तुति एवं भू–वैज्ञानिक के द्वारा दिये गये सुझाव का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०
पौड़ी

20/06/20
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

उत्तराखण्ड राज्य

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8.00 से मटाखाली–कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरांसू–देवलगांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.435 हे0 का नव निर्माण कार्य के समय न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि०खा०लो०नि०वि०
पौड़ी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
पौड़ी गढवाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पौड़ी

कार्यालय सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड़, लो०नि०वि० पौड़ी

E Mail ID:- eepwdcdpauri@gmail.com, eepwdcdpauri@rediffmail.com, Fax & Phone No. (01368-222284)

Annexure-05

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्ययवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर वनभूमि में 4 फिट ऊचें आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन किया जायेगा जिस पर **Forward** एवं **Back Bearing** अंकित किया जाऐगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मुछियाली

तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जिला **पौड़ी गढ़वाल**, के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि, **शून्य हे0**, सिविल सोयम भूमि **2.765 हे0**, वन पंचायत भूमि **1.670 हे0**) अर्थात **कुल 4.435 हे0** वन भूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **उतरासू** द्वारा **दिनांक 04.04.2014** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **उतरासू** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

4-4-14

ग्राम सचिव

सरपंच
महिला वन पंचायत
ग्राम-मुछियाली पट्टी बनगडस्यू
तहसील श्रीनगर गढवाल

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(87)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4/4/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रमेश कोहली	Ramesh Kohli
2	" हरि सिंह	हरि सिंह
3	" कुलदीप सिंह	कुलदीप सिंह
4	" मुकेश भट्ट	मुकेश भट्ट
5	" शिवदयाल	शिवदयाल
6	" जमपाल सिंह	
7	श्रीमती सुरजी देवी	[illegible] 4/4/14
8	श्री महिपाल सिंह	महिपाल
9	विनोद लाल	विनोदलाल
10	[illegible]	[illegible]
11	मनोज	
12	बसन्ती देवी	मनोज
13		बसन्ती देवी
14	सच्चुलाल	सच्चुलाल
15	बुद्धिलाल	बुद्धि
16	सिद्धूलाल	सिद्धूलाल
17	प्रेमलाल	प्रेमलाल
18	[illegible]लाल	[illegible]
19	श्रीमती शान्ती देवी	
20	[illegible]	

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....
(शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.765 हे0 सिविल एव सोयम वन भूमि 1.670 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.435 हे0 वन भूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दिनांक 04.04.2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री रजा अब्बास उप जिलाधिकारी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	**श्री रजा अब्बास**	उपजिलाधिकारी	श्रीनगर	अध्यक्ष
2–	**श्री दिनेश गिरी**	उप प्रभागीय वनाधिकारी	पौड़ी	सदस्य
3–	**श्री भूपेन्द्र सिंह नेगी**	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	**कोट ब्लाक**	सदस्य/सचिव
4–	**श्री बसन्त लाल**	बी0डी0सी0 क्षेत्र/ग्रा0प0वि0 अ0	**नकोट**	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।** परियोजना हेतु **4.435 हे0** वन भूमि का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वार अनापत्ति जारी की जा सकती है।

Photo Copy Attestd

Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

(89)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड श्रीनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 4.435 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उपजिलाधिकारी
जनपद– श्रीनगर गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उपजिलाधिकारी
जनपद– श्रीनगर गढ़वाल

4-4-14
ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी
सरपंच

सरपंच
महिला वन पंचायत
ग्राम-मुछियाली पट्टी बनगढस्यू
तहसील श्रीनगर गढ़वाल

04/04/14
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड खिर्सू

(कैलाश चन्द्र कोटनाला
राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व पुलिस उत्तराखण्ड
पट्टी बनगढस्यू
तहसील श्रीनगर गढ़वाल

Photo Copy Attestd
20/06/22
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

Photo Copy Attestd
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

(90)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावति जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। परियोजना के निर्माण हेतु 4.435 हे0 सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष , उत्तराखण्ड स्तारीय वन अधिकार समीति श्रीनगर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ती प्रमाण–पत्र निर्गत कियें गए है; वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रममाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण मे किसी अनुसूचित जाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है।परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। यह प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी श्रीनगर, उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वि0ख0कोट ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कोट के द्वारा 23.2 में किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
गढ़वाल (पौड़ी)

नोट–वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वाँछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्तकर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(91)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावति जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरंकनी–खन्दूखाल –मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य**, परियोजना के निर्माण हेतु **4.435 हे0** सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (Linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों का वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (**Primitve Tribal Groups**) व आदिकालीन कृषि समुदाय (**Pre Agriculural Tribal Groups**) प्रभावित नहीं हो रहे हैं। यह प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारी श्रीनगर, उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वि0ख0 कोट, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वि0ख0 कोट के द्वारा प्रपत्र-23.2 में किये गये संयुक्त निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा रहा है।

जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(91A) Annexure-1

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector ,pauri Garhwal

No...4045...................

Dated 22-8-14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd Augest 2009 wherin the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect fo linear project, it is certified that **4.435 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal** for **construction of Kolta-Muchali-Uttrashu-Develgawn Motor Road from Arkani-Khandukhal-Muchali Motor Road Km. 08 Matakhali in Pauri Garhwal** district falls with in jurisdiction of **Muchali** village (s) in **Srinagar Garhwal** tehsils.

It is further certified that :

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.435 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01 to annexure 02.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector
DM/Collector Garhwal

छाया प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(91B) Annexure-II

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District CollectorPauri Garhwal

No...4045
....

Dated 22-8-14

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd Augest 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **4.435 hectares** of forest land propused to be diverted in favour of Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal for **Construction Division P.W.D. Srinagar Garhwal** for **Construction of Kolta-Muchali-Uttrashu-Develgawn Motor Road from Arkani-Khandukhal-Muchali Motor Road Km. 08 Matakhali in Pauri Garhwal** district falls with in jurisdiction of **Muchali** village (s) in **Srinagar Garhwal** tehsils.

(a) The Complete process for identification and settlement fo rights under the FRA has been carried out for the entire **4.435 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01To annexure 02**

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local langunge) have been placed befor each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA.

(c) The each of Concerned Gram Sabha (s), has Certified that all formielities/ processes under the FRA have been Carried out, and that they have given their concent to the proposed diversion and the compensation and amelioretive measures, if any having understood the propuse and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of **Muchali** villages is enclousedas annexure 01 to annexure 02

(d) The discussion and dicisions on such proposels had taken pace only when their was a quorum of minnimum 50% of the members of Gram Sabha prsente.

(e) The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their Conset to it.

(f) The rights of primitive drival groups and Pre-agircultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

छाया प्रति प्रमाणित
22/8/14
सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(Chandra Shekhar B[redacted])
District Collector
DM/Collector
Garhwal

आवश्यक एवं न्यनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण– पत्र

परियोजना का नामः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुदियाली मोटर मार्ग के किमी0 08 माटाखाली से कोल्टा– मुछियाली होते हुए उतरांसू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।

प्रमाणित किया जाता है, कि मोटर मार्ग निर्माण के समय में आवश्यक एवं न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)

is further Certified that minutes of meeting of construction of Kolta-Muchali-Uttrashu-Develgawn Motor Road from Arkani-Khandukhal-Muchali Motor Road Km. 08 Matakhali in Pauri regarding FRA is as following

Sl. No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out fir the entire **4.435 hectares** area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the fores rights committee (s), Sub Division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Deviersion of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been givenconsent to it.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection Certificate concerned **villages Kolta, Muchiyali, Utrashu** regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural Communities.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Bord
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

अधिशासी अभियन्ता
Executive Engineer
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
C.D. PWD Srinagar
श्रीनगर (गढ़वाल)

30-5
District Collector Garhwal

Photo Copy Attestd
20/06/12
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त खिर्सू ब्लाक में जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 के माटाखाली से कोल्डा, मुछियाली होते हुये देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित सिविल एवं वन पंचायत भूमि 4.435 हे0 लो0नि0वि0 को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

20.4.15

(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर

पत्रांक 1015 /28सी0

दिनांक - 01/05/2015

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
श्रीनगर गढ़वाल

Photo Copy Attestd
20/04/...
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pau...

(84)

भू–संरक्षण का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अरकनी–खन्दूखाल–मुछियाली मोटर मार्ग के कि0मी0 8 मटाखाली से कोल्टा–मुछियाली होते हुये ग्राम उतरासू देवलगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है , कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण के दौरान भू–वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू–संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

Photo Copy Attestd
20/08/12
Assistant Engineer
C.D. P.W.D Pauri